न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:— श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 131/2013

कृष्णा देवी पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड सं. 15 पुराना, 8 वर्तमान सूरतगढ तहसील सूरतगढ —मृतक

1/1 हेतराम पुत्र लाधूराम
1/2 सम्पत देवी पुत्री हेतराम
1/3 संतोष देवी पुत्री हेतराम
1/4 लक्ष्मीनारायण पुत्र हेतराम
1/5 विष्णु पुत्र हेतराम

जाति बिश्नोई निवासीगण वार्ड नं. 15 पुराना, 8 वर्तमान सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू—राजस्व अधि. 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ
दिनांक 11.10.2011

उपस्थिति :—

श्री राकेश कुमार मनचन्दा अभिभाषक अपीलांट
श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता
श्री निरंजन सेतिया अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

निर्णय दिनांक :— 08.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधिशाषी अधिकारी सूरतगढ ने एक पत्र कमांक 6172 दिनांक 30.09.2011 को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को इस आशय का लिखा कि पालिका, राजस्व विभाग तथा नगरपालिका सूरतगढ के लिए आवासीय कॉलोनी काटकर भूखण्ड आवंटन करना चाहती है। आवासीय कॉलोनी काटने हेतु

8/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मानकसर रोही के खसरा नं. 263 की 31 बीघा, सूरतगढ रोही के खसरा नं. 355/6 की 3 बीघा कुल 34 बीघा भूमि आवंटन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र पर ही उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने तहसीलदार सूरतगढ को यह आदेश दिये कि भूमि लगान का 40 गुणा राशि लेकर नगरपालिका को हस्तांतरण की जा सकती है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रिपोर्ट करें कि अन्य कार्यों के लिए प्रस्तावित नहीं है तो नगरपालिका के दर्ज कर दी जावे। नगरपालिका अपने नाम आने पर नियमानुसार प्लान कर भूमि का निस्तारण करें। अपीलांट ने यह अपील खसरा नं. 355/6 की 3 बीघा भूमि की सीमा तक पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त 3 बीघा भूमि अपीलांट की खरीदशुदा एवं अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने तहसीलदार सूरतगढ को आदेश दिया है एवं उक्त आदेश सशर्त आदेश है। विवादित भूमि अभी नगरपालिका को हस्तांतरित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रा. पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 11.10.2011 के विरूद्ध दिनांक 20.05.2013 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 11.10.2011 के विरूद्ध पेश की है जिसमें सूरतगढ के ख.नं. 355/6 की 3 बीघा भूमि नगरपालिका को हस्तांतरित की जा सकती है, भूमि अपीलांट की क्रयशुदा भूमि है। अतः आदेश निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। सम्पूर्ण प्रकरण सीमा ज्ञान एवं सीमा विवाद का है जिसका समाधान ही अपील का विधिक निर्णय है जिसके निष्कर्ष पर पंहुचने से पूर्व यह उचित समझा गया कि विवादित आराजी की वर्तमान रिकार्ड की क्या स्थिति है, जो अपीलांट अभिभाषक द्वारा फार्म सं. 3 द्वारा नवीनतम जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि जो पटवारी हल्का द्वारा नकल रजिस्टर के पी. 35 के क.सं. 2485 दिनांक 7.12.2017 को जारी होना प्रमाणित है जो तहसील सूरतगढ के कस्बा सूरतगढ की संवत 2068-2071 के खसरा नं. 355/6 का क्षेत्रफल 107.4350 हैo बारानी होना साबित है। इस जमाबन्दी में खसरा नं. 355/6 में जिन नामान्तरणकरणों (Mutations) का अंकन दर्ज है उनमें नामान्तरण सं. 461 निर्णित दिनांक 3.11.2011 द्वारा खसरा नं. 355/6 में 0.759हैo भूमि रेवन्यू कर्मचारी आवासीय कॉलोनी (नगरपालिका सूरतगढ) के नाम दर्ज होना अंकित होकर शेष खाता

8/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बदस्तूर (यथावत) दर्ज है, तत्पश्चात नामान्तरण सं. 473 निर्णित दिनांक 30.01.2012 द्वारा खसरा नं. 355/6 में 0.101है0 भूमि ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स श्रीगंगानगर RSET ओबीसी ग्राम स्वरोजगार संस्थान के नाम दर्ज होकर शेष अंकन बदस्तूर दर्ज है पश्चातवर्ती नामान्तरणकरण संख्या 505 निर्णित दिनांक 27.11.2012 द्वारा ख.न. 355/6 में 84.721 है0 भूमि राजस्थान आवास मंडल राजस्थान जयपुर (सूरतगढ़) के नाम दर्ज होकर शेष अंकन बदस्तूर जमाबंदी तथा इस खसरे में आदिनांक तक का अन्तिम नामान्तरण संख्या 610 निर्णित दिनांक 28.08.2015 धूकलराम कौम बिश्नोई ख.न. 355/6 में 2.871 है0 भूमि दर्ज होकर शेष भूमि 355/6 में 18.983है0 दर्शाई है अर्थात नामान्तरण संख्या 461, 473, 505 व 610 के इन्द्राजात जिसमें रेस्पो. नगरपालिका की भूमि को नहीं छेड़ा जाये तब भी ख.नं. 355/6 में 18.983है0 शेष बचती है जिससे अपीलांट की Relief परीक्षण योग्य है। अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2064 से 2071 खतौनी संख्या 185 पुरानी व 176 नयी के अंकन अनुसार ख.नं. 355/6 के 6.325है0 में अपीलांट कृष्णा देवी पत्नी हेतराम तरड 1.581है0 भूमि रिकार्डेड खातेदार दर्ज है जो दिनांक 07.12.2017 को शेष रकबा ख.नं. 355/6 में 18.983है0 में से 1.581है0 भूमि निर्विवाद रूप से दर्ज करवाने की पात्र हैं। चुंकि यह कृषि भूमि अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से क्रय की गई है जो पत्रावली पर उपलब्ध बेचान दस्तावेज की इबारत अनुसार अपीलांट की आराजी की जो चौहदी(चारों दिशाए) दर्शायी हैं उसके अनसुार उक्त 3.10 बीघा भूमि के पूर्व दिशा में श्रीमती जानी देवी पत्नी हेतराम गोदारा की कृषि भूमि, पश्चिम दिशा में शंकरलाल, मदनलाल कौशिक की भूमि, उत्तर दिशा में रामस्वरूप पुत्र रामचन्द की कृषि भूमि व दक्षिण दिशा में बाईपास रोड के बाद आई.टी.आई. कॉलेज दर्शाया है।

8/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अतः अपीलांट की भूमि पंजीबद्ध दस्तावेज में दर्शाऐ चौहदी (चारों दिशाओं) अनुसार मानी जा सकती है एवं इसी अनुरूप तरमीम योग्य है तदनुसार सीमा विवाद का निपटारा किया जाता है। चुंकि विवाद में कई तरह के Litigation होकर, नामान्तरणकरणों की अपीलें, पैमाईस के लिए गठित टीमों के दक्ष दृष्टिकोणों, किसी भी न्यायालय में लम्बित दावों निर्णयाधीन, अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का बेचान दस्तावेज की रूह से कयशुदा भूमि रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर